



संख्या : 102/06/SR/2020/3133-38

दिनांक: 09 दिसंबर 2021

नीलामी सूचना / Auction Notice

भारत सरकार के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियंता योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद, निम्नलिखित सरकारी गाड़ी की नीलामी हेतु "जैसी और जहां पर उपलब्ध" के आधार पर, रजिस्टर्ड / एवं गैर-रजिस्टर्ड बोलीदाता (स्कैप / पुराना सामान खरीददार / काबाड़ी) से लिफाफा बंद कोटेशन आमंत्रित करते हैं

For and on behalf of the President of India, sealed quotations are invited from Registered/unregistered bidders (scrap Merchant/Junk Merchant/Kabadi) for auction of following vehicle "As and Where basis" by The Executive Engineer, P&I, Division, CWC, Faridabad.

क्रम सं/ S.No.	विवरण / Description	मॉडल / Model
01.	गाड़ी सं DL 3CF-9187 / Vehicle No. DL 3CF-9187	हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड अम्बेसडर 2003 क्लासिक पेट्रोल मॉडल / Hindustan Motors Limited/ Ambassador Classic (Petrol) 2003 model

निबंधन एवं शर्तें / Terms and Conditions


- गाड़ी "जैसी और जहां पर उपलब्ध" के आधार पर बिक्री हेतु उपलब्ध है। यह गाड़ी उपमंडल अभियंता प्रदर्शनी एवं संग्राहलय उपमंडल, बी - 5, तारा क्रीसेंट रोड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कालिंदी भवन केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में है, जो कि किसी भी सरकारी कार्य दिवस में 14:30 बजे से 16:30 बजे तक, इच्छुक पार्टी द्वारा देखी जा सकती है।

The vehicle is available on sale on "As and Where basis". The vehicle can be inspected by the interested parties on any working days between 14:30 hrs to 16:30 hrs at office of SUB DIVISIONAL ENGINEER, M&E SUB DIVISION, B-5, TARA CRESENT ROAD, QUTUB INSTITUTIONAL AREA, KATWARIA SARAI, KALINDI BHAWAN, CENTRAL WATER COMMISSION, NEW DELHI-110016".

अ. क. खिलवाल
09.12.21

पृष्ठ 1 ऑफ 4

Quarter No 1061-64, Type V,
NH-IV, N.I.T. Faridabad,
Haryana-121001
Telephone: 0129-2412576
E-mail : pi-cwc@nic.in



क्वार्टर सं 1061-64, टाइप V, एन.
एच. -IV, एन.आई.टी., फरीदाबाद
हरियाणा- 121001
दूरभाष : 0129-2412576
ईमेल : pi-cwc@nic.in



2. लिफाफा बंद कोटेशन "उपमंडल अभियंता प्रदर्शनी एवं संग्राहलय उपमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, कालिंदी भवन, नई दिल्ली को दिनांक 20.12.2021, 15:00 बजे तक भेजी जा सकती हैं तथा ये उसी दिन 15:30 बजे खोली जाएंगी इच्छुक बोलीदाता चाहें तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

The sealed quotations shall be sent to the "Sub Divisional Engineer, M&E Sub Division, Central Water Commission, Kalindi Bhawan, New Delhi-110016" on or before 20.12.2021 up to 15:00 hours and will be opened on the same day at 15:30 Hrs. Intending bidders may be present at the time of opening of auction bid.

3. बंद लिफाफे के उपर "अम्बेसडर गाडी DL 3CF-9187 की नीलामी हेतु" लिखा हुआ होना चाहिए
The cover/Envelope must be duly super scribed as "For the auction of Ambassador No. DL 3CF-9187".

4. बोलीदाता को 5000/ रुपए अग्रिम राशि के रूप में, अधिशासी अभियंता योजना एवं अन्वेषण मण्डल केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद को नकद या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में एक अलग लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रिम राशि के बोली अमान्य मानी जाएगी और स्वतः अयोग्य हो जाएगी।

The bidder should deposit Rs. 5000.00 as EMD in a separate sealed envelope in the form of A/C Payee Bank Draft / Cash in the favour of "Executive Engineer, P&I Division, CWC, Faridabad". Without earnest money the bid shall be treated as invalid & automatically disqualified.

5. विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन, स्थानांतरण, रोड टेक्स आदि देय नहीं होगा।

No registration, transfer, road tax etc. in respect of the vehicle shall be payable by the Department.

6. बोलीदाता के पास मान्य पैन एवं मान्य बैंक खाता होना आवश्यक है।


Bidder shall have valid PAN and valid/ active Bank Account No.

7. असफल बोलीदाता की अग्रिम राशि वापिस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की अग्रिम राशि उसकी बोली राशि में समायोजित कर ली जाएगी।

EMD of unsuccessful bidder shall be returned to the respective bidders. EMD of the successful bidder will be adjusted in bidding amount.

पृष्ठ 2 ऑफ 4

अ. क. शर्मा
09.12.21





8. नीलाम गाड़ी की सुपुर्दगी, कार्यालय द्वारा पत्र जारी होने के 07 दिन के अंदर पूरी राशि जमा करने के पश्चात कर दी जाएगी, अन्यथा अग्रिम राशि जब्त मानी जाएगी।
The delivery of the auctioned vehicle is to be taken within 07 days on the issue of letter of offer after making full payment thereof; otherwise the earnest money deposited will stand forfeited.
9. अधोहस्ताक्षरित 07 दिन सुपुर्दगी समय के पश्चात, न्यायोचित एवं वास्तविक आधार पर अधिक से अधिक 5 दिन के लिए 100/- रुपए प्रति दिन विलंब शुल्क के साथ, गाड़ी की सुपुर्दगी की तिथि आगे बढ़ा सकता है।
The undersigned may extend the period on justified and genuine grounds for maximum of 5 days on payment of demurrage charge of Rs. 100/- per day i.e. viable from the date of expiry of 07 days delivery period, as mentioned above.
10. अधोहस्ताक्षरित गाड़ी नीलामी की पूरी राशि प्राप्त होने के पश्चात, चोरी, उठाईगिरी आगजनी या अन्य किसी कारण से हुई क्षतिपूर्ति को स्वीकार नहीं करेंगे।
The undersigned will not entertain any claim for damage done by the way of theft, pilferage, fire or any other unforeseen calamity after realizing full payment against the sale of auctioned vehicle.
11. उपरोक्त नीलामी की दरे / कोटेशन खोलने की तिथि से अगले 30 दिनों तक खुली रहेंगी। यदि किसी भी बोलीदाता की बोली स्वीकार होने के पश्चात कोई भी बोलीदाता अपनी कोटेशन को खुलने की तिथि पर वापिस लेता है या निबंधन एवं शर्तों में सुधार करता है, जो कि विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो गवर्नमेंट किसी अन्य अधिकार या उपाय के लिए पूर्वागृह के बगैर, उसकी 50% अग्रिम राशि जब्त करने में स्वतंत्र होगी और यदि कोई बोलीदाता जिसकी बोली / कोटेशन, विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गई है, अगर पूरी बोली राशि, 10 दिन में जमा करने में असफल रहता है तो उसकी पूरी अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी।
The quotation for the above auction shall remain open for a period of 30 days from the date of opening of quotations. The Government shall, without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit 50% of the earnest money if any quotationer withdraws his quotation before that date or makes any modification in the terms and conditions of the quotation which are not acceptable to the department, and to forfeit the whole of the earnest money if the quotationer, whose quotation is accepted, fails to deposit the whole bidding amount within 10 days of issue of letter of acceptance of auction.

प्रष्ठ 3 ऑफ 4





12. विभाग के पास किसी भी कोटेशन को, बिना कोई कारण बताए आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

The department reserves the right to accept or reject any offer either part or whole without assigning any reason.

(अभिजीत काशलीवाल /Abhijeet Kashliwal)
अधिशासी अभियंता/ Executive Engineer

प्रतिलिपी/Copy to:-

1. अधीक्षण अभियंता (स०), यमुना बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली /Superintending Engineer(C), Yamuna Basin Organization, CWC, New Delhi.
2. अधीक्षण अभियंता, योजना परिमंडल, केंद्रीय जल आयोग, फरीदाबाद /Superintending Engineer, Planning Circle, CWC, Faridabad.
3. सहायक लेखा अधिकारी योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केंद्रीय जल आयोग, फरीदाबाद। Assistant accounts officer, P&I Division, CWC, Faridabad.
4. उपमंडल अभियंता, प्रदर्शनी एवं संग्राहलय उपमंडल, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली /Sub Divisional Engineer, M&E Sub Division, CWC, New Delhi.
5. नोटिस बोर्ड परिमंडल एवं मण्डल कार्यालय केंद्रीय जल आयोग, फरीदाबाद। Notice Board Circle Office/Division Office, CWC, Faridabad,
6. केंद्रीय जल आयोग वेब पोर्टल / CWC Web Portal.

अभिजीत काशलीवाल
09.12.21

प्रस 4 ऑफ 4

